न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 09/2017

1 श्री सत्यनारायण पुत्र श्री नाथूलाल जाति ब्राह्मण उम्र 58 वर्ष निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1 भंवरी देवी छंगानी पुत्री नाथूलाल पत्नि चन्दनमल छंगानी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी देवलियाकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर–राजस्थान हाल निवास मकान सं. 130, शारदा विस्तार कोलोनी, 100 फीट रोड भीलवाडा
2 श्रीमान शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा विजयनगर जिला अजमेर
3 श्रीमान तहसीलदार साहब, लैण्ड होल्डर, तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर
4 श्रीमान उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपस्थित :– श्री विष्णु दत्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री देवकान्त व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1
पैरोकार सरकार

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

निर्णय दिनांकः–12.10.2022

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवदेन किया है कि मौजा देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय की वादग्रस्त भूमियां जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता सं. 1250 की भूमियां खसरा नं. 2849 रकबा 0.25, 2850 रकबा 0.15, 3662 रकबा 3.35, 3663 रकबा 0.01, 3664 रकबा 0.20, 3665 रकबा 7.70, 4026 रकबा 0.27, 4063 रकबा 0.40, 4064 रकबा 0.05, 4165 रकबा 0.48 किता–10 रकबा 12.86 है0 भूमि प्रार्थी के एकल स्वामित्व की भूमि है। जिस पर प्रार्थी अनवरत रूप से फसल काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात में प्रार्थी की माता का भी अधिकार था जिसे जरिये पंजीकृत हकत्याग नामान्तकरण सं. 2284 दिनांक 25.06.2015 प्रार्थी के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में अमल करा दिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजीयात पर काफी मेहनत एवं खर्च कर भूमि को फसल काश्त करने योग्य बनाया है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की बहिन है जो विवाह उपरान्त ससुराल में निवास कर रही है एवं प्रश्नगत आराजीयात पर प्रार्थी के पिता पर कर्ज था जिसे प्रार्थी द्वारा ही चुकाया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी द्वारा हमेशा प्यार, स्नेह से रखा गया एवं अप्रार्थी सं. 1 के सभी सामाजिक रितिरिवाजों का प्रार्थी के द्वारा बखुबी निर्हवहन किया गया। उक्त प्रश्नगत आराजीयात अविभाजित है एवं अविभाजित आराजीयात का बिकाव किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 अविभाजित आराजीयात को किसी अन्य को हस्तान्तरित करने हेतु आमादा है। जिस कारण प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष लाजमी आया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवकान्त व्यास ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी सं. 1 प्रश्नगत आराजीयात में बतौर सहखातेदार दर्ज है। उक्त आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज.

Scanned with CamScanner

सं. 1 की पुश्तैनी आराजीयात है जिसे प्रार्थी बिना विधिक बंटवारा करवाये निषेधाज्ञा से पावन्द होने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी सं. 1 प्रश्नगत आराजीयात में बतौर सहखातेदार होने के कारण प्रत्येक खसरा नंबरान के प्रत्येक इंच पर अपना हक एवं अधिकार रखती है एवं उसी अनुसार वादग्रस्त भूमियों में से अपने हिस्से तक भूमि के बेचान/हस्तान्तरण संबंधी समस्त अधिकार रखती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिसम्मत न होने से अस्वीकार करने योग्य बताया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजीया प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होना स्वीकार किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में लिखित कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पुरजोर निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब पत्र अनुसार अभिकथनों को प्रस्तुत कर जवाब पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर प्रकरण निर्णित करने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का अनुरोध किया। पैरोकार सरकार ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबंदी ग्राम देवलियांकलां की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खाता सं. 1250 विवादग्रसत भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि होना स्वीकारते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायसंगत प्रतीत नही होना बताया।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा राजस्व रिकॉर्ड, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब पैरोकार सरकार का अध्ययन करने पर पाया प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात हैं। जिस पर प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थी सं. 1 का भी हक अधिकार निहित है। जिसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 को स्वयं की खातेदारी आराजीयात बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन से सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में होने से प्रार्थी वांछित अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं है ।

–:आदेश:–

अतः मौजा देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय की वादग्रस्त भूमियां जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता सं. 1250 की भूमियां खसरा नं. 2849 रकबा 0.25, 2850 रकबा 0.15, 3662 रकबा 3.35, 3663 रकबा 0.01, 3664 रकबा 0.20, 3665 रकबा 7.70, 4026 रकबा 0.27, 4063 रकबा 0.40, 4064 रकबा 0.05, 4165 रकबा 0.48 किता–10 रकबा 12.86 है0 पर प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वांछित आनुतोष के अधिकारी नहीं पाये जाने एवं इसे सिद्ध करने में असफल होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है ।

पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो बाद तामील तकमील होकर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner